

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :-एफ 9 (922)परि/आरटीए/मु./2002/I/ 13652 जयपुर, दिनांक:-20.07.2015

अधिसूचना


भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 921 (अ) दिनांक 13.08.2003 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 74 की उप-धारा (3) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प 9 (922)परि/आरटीए/मु./2002/I/7927, जयपुर दिनांक 11.05.2015 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर को निम्न दिशा-निर्देश जारी करती है, अर्थात् :-

निर्देश

यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं कि जोधपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः जोधपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले तीन पहिया ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित करती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से जोधपुर शहर में संचालित ऑटो रिक्शाओं की संख्या 7150 इस शर्त पर सीमित करेंगे कि नये परमिट केवल एल.पी.जी/सी.एन.जी. चलित तिपहिया यात्री वाहनों को ही जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल के आदेश से,


(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :-एफ 9 (922)परि/आरटीए/मु./2002/1/13653-66 जयपुर, दिनांक:-20.07.2015

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 20.07.2015 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
10. अपर परिवहन आयुक्त,(समस्त) जोन।
11. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त।
12. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

24
संयुक्त शासन सचिव